



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268398
CG-DL-E-10122025-268398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947

No. 803]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 889(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 4 और धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में,

(क) उक्त नियमों के प्ररूप संख्या 4क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“[प्ररूप संख्या 4क]
[नियम 54 और 55 देखें]

(जारी करने वाली प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा)
जारी करने वाली प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा

क्रम नं.

फा. सं.

वित्त मंत्रालय
(भारत सरकार)
(राजस्व विभाग)

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 54 के उपबंध के अधीन आयात के
शासकीय अनुमोदन का प्रमाणपत्र

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन आयात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त करते
हुए.....(निर्गमन प्राधिकारी) स्वापक ओषधियों के निम्नलिखित आधानों के भारत में आयात को अनुमोदित करते हैं :

मद संख्या	ओषधि का नाम और विवरण	एचएसएन कोड	सीएस संख्या	आयातक का जीएसटीआईएन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मैसर्स द्वारा मैसर्स से निर्यात/विश्लेषणात्मक
उद्देश्यों के लिए विनिर्मिति का निम्नलिखित शर्तों के अधीन विनिर्माण करने हेतु (जो लागू न हो उसे काट दें) :

(2) आयात प्रमाणपत्र की शर्तें

- (i) ओषधियों से युक्त आधान को से पहले तक (तारीख/ दिन/महीना/वर्ष के रूप विधान में) (आयात प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 180 दिन के रूप में गणना की जाएगी) भारत में (विमान पत्तन/समुद्र पत्तन) पर आयात किया जाएगा ।
- (ii) यदि आयात निर्यात हेतु विनिर्मिति के विनिर्माण के लिए है, तो विनिर्माता,-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रमाणपत्र के अधीन आयातित ओषधि का कोई भी भाग घरेलू विक्रय के लिए विनिर्मिति के विनिर्माण के लिए विक्रीत या प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रमाणपत्र के अधीन आयातित ओषधि से विनिर्मित विनिर्मिति को घरेलू विक्रय के लिए नहीं भेजा जाएगा ;

- (ग) निर्यात पूरा होने पर दस्तावेजी साक्ष्य जैसे पोत परिवहन बिल, बिल ऑफ लैडिंग और बीजक के साथ ओषधियों के निर्यात का ब्यौरा स्वापक आयुक्त तथा भारत के ओषधि महानियंत्रक को प्रस्तुत करेगा;
- (घ) अपने राज्य उत्पाद शुल्क प्राधिकरण या राज्य खाद्य एवं ओषधि प्रशासन से परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करेगा, जिसमें प्रवेश पत्तन से कारखाना परिसर तक उनके आधान के परिवहन की अनुज्ञा हो ;
- (ङ) आयातित स्वापक ओषधि की वास्तविक मात्रा, उत्पादित विनिर्मिति, भेजे गए आधान तथा अतिशेष मात्रा का पृथक-पृथक लेखा रखेगा ;
- (च) स्वापक ओषधि की प्राप्ति या आयात, उपभोग और निर्यात की मासिक विवरणी स्वापक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा;
- (छ) इस प्रमाणपत्र के अधीन आयातित ओषधियों से विनिर्मित विनिर्मिति की सुरक्षा व्यवस्था, लेखाओं के रखरखाव और विवरणी जमा करने, कब्जे, विक्रय और संवितरण के लिए नियम 42, नियम 45, नियम 46 और नियम 47 में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा ;
- (ज) नियम 54 के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का अनुपालन करना ।
- (iii) यदि आयात विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए है, तो आयातक, -
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रमाणपत्र के अधीन आयातित ओषधि का कोई भी भाग विश्लेषणात्मक उद्देश्य से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ;
- (ख) आयात की गई स्वापक ओषधि के पूर्ण उपभोग के बारे में स्वापक आयुक्त को जानकारी देना ; और
- (ग) नियम 42, नियम 45, नियम 46 तथा नियम 47 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे ।
- (3) निर्यात के लिए मॉरफीन, कोडीन, थेबाइन और उनके लवणों या तैयार विनिर्मिति की कोई भी मात्रा, जो उपयोग में नहीं आई है, उसे सरकारी अफीम और अल्कलॉइड कारखाने को सौंप दिया जाएगा और इस प्रयोजन का लेखा-जोखा इस प्रमाणपत्र के अधीन आयात और बाद में फॉर्मूलेशन और एल्कलॉइड का निर्यात के लिए अनुज्ञासिधारी को उपलब्ध कराई गई अवधि के अंत में स्वापक आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) यह दस्तावेज़ के लिए है (जिस प्राधिकारी को और जिस उद्देश्य के लिए इसे भेजा जा रहा है, उसे उपदर्शित किया जाए)
- (5) प्रमाणपत्र तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपरी दाहिने कोने पर निर्गमन प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा न लगी हो। "

(ख) प्रारूप संख्या 5 में, “निर्यात की जाने वाली स्वापक ओषधियां या मनःप्रभावी पदार्थः” शब्दों के पश्चात्, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

मद संख्या	पैकेजों की संख्या	ओषधि का नाम पदार्थ/तैयारी	मूल ओषधि पदार्थ सामग्री	एचएसएन कोड	सीएस संख्या	निर्यातक का जीएसटीआईएन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[फा. सं. एन.11012/1/2013- एस.ओ.(एनसी-II)-2]

विनोद कुमार, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड 1 में सा.का.नि. 837(अ), तारीख 14 नवंबर, 1985 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का.आ. 786(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 1992, का.आ. 599(अ), तारीख 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 74क (अ), तारीख 14 दिसंबर, 1993, सा.का.नि. 543, तारीख 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82, तारीख 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556(अ), तारीख 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25(अ), तारीख 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509(अ) तारीख 4 नवंबर, 1996, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214(अ), तारीख 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 753(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115(अ), तारीख 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129(अ) तारीख 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217(अ), तारीख 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95(अ), तारीख 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 104(अ), तारीख 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 736(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2008, का.आ. 1661(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 739 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 470(अ), तारीख 21 जून, 2011, सा.का.नि. 426 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 224(अ), तारीख 25 मार्च, 2015, सा.का.नि. 359(अ), तारीख 5 मई, 2015 और सा.का.नि. 500(अ), तारीख 17 जून 2015 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2025

G.S.R. 889(E).— In exercise of the powers conferred by section 9, read with sections 4 and 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:-

- (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985,
- (a) for Form No. 4A of the said rules, the following form shall be substituted namely:-

“[FORM NO. 4A]

[see rules 54 and 55]

(Official seal of the Issuing Authority)

Official Seal of the Issuing Authority

S. No.

F. No.

MINISTRY OF FINANCE
(GOVERNMENT OF INDIA)

(Department of Revenue)

**CERTIFICATE OF OFFICIAL APPROVAL OF IMPORT UNDER THE PROVISIO TO RULE 54 of the Narcotic
 Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985**

....., (The Issuing Authority) being empowered to issue Import Certificate under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules 1985, hereby, approves the importation into India of the following consignments of narcotic drugs:

Item No.	Name and description of drug	HSN Code	CAS No.	GSTIN of Importer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

By M/s.....From M/s. to manufacture formulations for export/for analytical purposes (strike out whichever is not applicable) subject to the following conditions:

(2) Conditions of import certificate

- (i) The consignment containing the drugs shall be imported before..... by..... (date in format dd/mm/yyyy) (to be calculated as 180 days from the date of issue of import certificate) to (airport/seaport) in India.

- (ii) If the import is for manufacture of formulations for export, the manufacturer shall,-
- (a) ensure that no part of the drug imported under this certificate shall be sold or used to manufacture formulations for domestic sale;
 - (b) ensure that the formulations manufactured out of the drug imported against this certificate shall not be diverted for domestic sale;
 - (c) furnish to the Narcotics Commissioner and the Drugs Controller General of India details of export of drugs on completion of export along with documentary evidence such as shipping bills, bills of lading and invoices;
 - (d) obtain transport permit from their State Excise authority or State Food and Drugs Administration permitting transport of their consignment from port of entry to the factory premises;
 - (e) maintain separate accounts of actual quantity of narcotic drug imported, formulations produced, consignments dispatched and the quantity lying in balance;
 - (f) submit a monthly return of receipt or import, consumption and export of the narcotic drug to the Narcotics Commissioner;
 - (g) follow the procedures prescribed in Rules 42, 45, 46 and 47 for security arrangements, maintenance of accounts and submission of returns, possession, sale and distribution of formulations manufactured from the drugs imported under this certificate;
 - (h) comply with such other conditions as may be specified in the notification issued from time to time under rule 54.
- (iii) If the import is for analytical purposes, the importer shall, -
- (a) ensure that no part of the drug imported under this certificate shall be used for any purpose other than for analytical purpose;
 - (b) inform the Narcotics Commissioner about the complete utilisation of the Narcotic Drug imported; and
 - (c) follow the procedures specified in rules 42, 45, 46 and 47.
- (3) Any quantity of morphine, codeine, thebaine and their salts or finished formulations for export that remain unutilised shall be surrendered to the Government Opium and Alkaloids Works and accounting for this purpose shall be submitted to the Narcotics Commissioner at the end of the period made available to the licensee for import under this Certificate and subsequent export of the formulation and alkaloids.
- (4) This document is for (The authority to whom and the purpose for which it is being sent to be indicated).
- (5) The certificate is not valid unless it bears the Official Seal of the Issuing Authority on the top right-hand corner.”

(b) in Form No. 5, after the words “ Narcotic Drugs or Psychotropic Substances to be exported:”, for the table, the following table shall be substituted, namely :-

Item No.	Number of packages	Name of the Drugs Substance/preparations	Basic drug Substance content	HSN Code	CAS No.	GSTIN Of Exporter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[F. No. N.11012/1/2013-SO(NC-II)-2]

VINOD KUMAR, Director (Narcotics Control)

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section 1 vide number G.S.R. 837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 786(E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599(E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 74(E), dated The 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556(E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25(E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509(E) dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350(E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214(E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 753(E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115(E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129(E) dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217(E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95(E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104(E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736(E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661(E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011, G.S.R. 426 (E), dated 1st July, 2014, G.S.R. 224(E), dated 25th March, 2015, G.S.R. 359(E), dated 5th May, 2015 and G.S.R. 500(E), dated 17th June 2015.